

खान मंत्रालय
मांग संख्या 69
खान मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	3043.41	75.66	3119.07	2295.14	45.92	2341.06	3486.84	46.16	3533.00	3458.91	79.09	3538.00
वसूलियां	-302.90	-0.01	-302.91	-400.00	...	-400.00	-400.00	...	-400.00	-500.00	...	-500.00
प्राप्तियां
निवल	2740.51	75.65	2816.16	1895.14	45.92	1941.06	3086.84	46.16	3133.00	2958.91	79.09	3038.00
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	43.57	0.38	43.95	69.93	0.55	70.48	76.56	0.79	77.35	81.30	0.55	81.85
2. भारतीय खान ब्यूरो	92.50	...	92.50	109.67	...	109.67	105.97	...	105.97	116.42	...	116.42
3. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	884.25	...	884.25	910.55	...	910.55	922.44	...	922.44	954.44	...	954.44
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	1020.32	0.38	1020.70	1090.15	0.55	1090.70	1104.97	0.79	1105.76	1152.16	0.55	1152.71
केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं/परियोजनाएं												
4. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम)	0.01	...	0.01	410.00	...	410.00
केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
5. स्वायत्त निकायों को सहायता	28.30	...	28.30	27.58	...	27.58	27.88	...	27.88	30.70	...	30.70
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
6. भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	5.58	...	5.58	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00	8.00	...	8.00
अन्य												
7. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियां	384.95	71.41	456.36	354.69	34.76	389.45	467.31	34.76	502.07	419.00	74.01	493.01
8. भारतीय खान ब्यूरो गतिविधियां	11.49	3.87	15.36	14.72	10.61	25.33	12.67	10.61	23.28	14.05	4.53	18.58
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के अंतर्गत अन्वेषण गतिविधियां												
9. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि को अंतरण	1296.50	...	1296.50	400.00	...	400.00	1466.00	...	1466.00	925.00	...	925.00
10. कार्यक्रम घटक	296.27	...	296.27	400.00	...	400.00	400.00	...	400.00	500.00	...	500.00
11. राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि से प्राप्त राशि	-296.27	...	-296.27	-400.00	...	-400.00	-400.00	...	-400.00	-500.00	...	-500.00
जोड़-राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट के अंतर्गत अन्वेषण गतिविधियां	1296.50	...	1296.50	400.00	...	400.00	1466.00	...	1466.00	925.00	...	925.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2023-2024			बजट 2024-2025			संशोधित 2024-2025			बजट 2025-2026		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. वास्तविक वसूली	-6.63	-0.01	-6.64
जोड़-अन्य	1686.31	75.27	1761.58	769.41	45.37	814.78	1945.98	45.37	1991.35	1358.05	78.54	1436.59
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र के अन्य व्यय	1720.19	75.27	1795.46	804.99	45.37	850.36	1981.86	45.37	2027.23	1396.75	78.54	1475.29
कुल जोड़	2740.51	75.65	2816.16	1895.14	45.92	1941.06	3086.84	46.16	3133.00	2958.91	79.09	3038.00
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2696.94	...	2696.94	1758.00	...	1758.00	2943.07	...	2943.07	2809.45	...	2809.45
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	43.57	...	43.57	69.93	...	69.93	76.56	...	76.56	81.30	...	81.30
3. अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	...	75.27	75.27	...	45.22	45.22	...	45.22	45.22	...	78.44	78.44
4. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.38	0.38	...	0.55	0.55	...	0.79	0.79	...	0.55	0.55
जोड़-आर्थिक सेवाएं	2740.51	75.65	2816.16	1827.93	45.77	1873.70	3019.63	46.01	3065.64	2890.75	78.99	2969.74
अन्य												
5. पूर्वोत्तर क्षेत्र	67.21	...	67.21	67.21	...	67.21	68.16	...	68.16
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों संबंधी पूंजीगत परिव्यय	0.15	0.15	...	0.15	0.15	...	0.10	0.10
जोड़-अन्य	67.21	0.15	67.36	67.21	0.15	67.36	68.16	0.10	68.26
कुल जोड़	2740.51	75.65	2816.16	1895.14	45.92	1941.06	3086.84	46.16	3133.00	2958.91	79.09	3038.00

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड	...	13.56	13.56	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00	...	12.00	12.00
2. हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	...	480.87	480.87	...	350.00	350.00	...	350.00	350.00	...	350.00	350.00
3. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	...	1957.26	1957.26	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00	...	2000.00	2000.00
जोड़	...	2451.69	2451.69	...	2362.00	2362.00	...	2362.00	2362.00	...	2362.00	2362.00

1. **सचिवालय:** यह प्रावधान मंत्रालय के सचिवालयी व्यय हेतु है। इसमें स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) एवं प्रधानमंत्री

खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) के लिए जिला खनिज प्रतिष्ठान की निगरानी का प्रावधान भी शामिल है।

2. **भारतीय खान ब्यूरो:** इसमें आईबीएम के स्थापना संबंधी व्यय एवं स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) हेतु प्रावधान

शामिल है।

3. **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण:** यह प्रावधान जीएसआई के स्थापना संबंधी व्यय एवं स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) हेतु है।

4. **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम):** वित्त वर्ष 2024-25 के केन्द्रीय बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना की घोषणा की गई थी। इस मिशन का लक्ष्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना, महत्वपूर्ण खनिजों का पुनर्चक्रण, और महत्वपूर्ण खनिज आस्तियों का सीमापर अतिक्रमण करना है। इसके अधिदेश में प्रौद्योगिकी विकास, दक्ष कार्यबल सृजन, विस्तृत उत्पादक उत्तरदायित्व फ्रेमवर्क की स्थापना और एक अनुकूल निधीयन तंत्र का कार्यान्वयन शामिल है।

5. **स्वायत्त निकायों को सहायता:** इसमें विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाओं के लिए विभिन्न स्वायत्त एवं वैज्ञानिक निकायों को सहायता अनुदान देने के प्रावधान शामिल हैं। राष्ट्रीय रॉक मेकनिक्स संस्थान, भारतीय खदान-कर्मि स्वास्थ्य संस्थान, जवाहर लाल नेहरू एल्युमिनियम अनुसंधान विकास और डिजाइन केंद्र नामक तीन स्वायत्त निकायों को वेतन घटक, सूचना, शिक्षा, संचार योजनाएं एवं इनको एकमुश्त अनुदान देने हेतु प्रावधान शामिल है। इनमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार के प्रावधान भी शामिल हैं।

6. **भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड:** यह प्रावधान आवश्यक सेवाओं एवं अन्य के रखरखाव पर व्यय की पूर्ति के लिए है।

7. **भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण गतिविधियां:** यह प्रावधान अपतटीय क्षेत्रों सहित देश में भू-वैज्ञानिक मानचित्रण एवं क्षेत्रीय खनिज आकलन के लिए है तथा इसमें सेटेलाइट चित्रण एवं हवाई सर्वेक्षण के माध्यम से सुदूर-संवेदन की आवश्यकताएं शामिल की गई हैं।

8. **भारतीय खान ब्यूरो गतिविधियां:** इस प्रावधान में भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खानों की जांच एवं अध्ययन की आवश्यकताओं एवं अनुसंधान हेतु प्रावधान कवर किए गए हैं जैसे कि (i) निम्न श्रेणी अयस्क एवं खनिजों का परिष्करण और (ii) खनिज संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विशेष खनन समस्याएं। इसमें माइनिंग टेनेमेंट सिस्टम के कंप्यूटरीकृत ऑनलाइन रजिस्टर की राशि और राज्य सरकार के क्षमता निर्माण और एनआईसी द्वारा अयस्क अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन हेतु प्रावधान भी शामिल हैं।

10. **कार्यक्रम घटक:** राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (एनएमईटी) का गठन खान और खनिज (विकास विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2015 की धारा 9ग के तहत किया गया था। इस न्यास का उद्देश्य क्षेत्रीय और विस्तृत खनिज अन्वेषण के प्रयोजनों से न्यास के द्वारा प्रोद्भूत निधियों का उपयोग करना है। खनन पट्टे या सम्भावित लाइसेंस सह खनन पट्टा धारक न्यास को एमएमडीआर अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार अदा की गई 2 प्रतिशत रॉयल्टी के समकक्ष राशि अदा करेगा। एनएमईटी में प्राप्त निधियों का उपयोग क्षेत्रीय और विस्तृत अन्वेषण के प्रयोजन से भारत सरकार की अधिसूचित अन्वेषण एजेंसियों के परियोजना प्रस्तावों के वित्तपोषण के लिए किया जाएगा ताकि देश में खनिज अन्वेषण संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके।